


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या <u>70</u> /2022 केसरी व अन्य बनाम कंचन व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.08.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट की बहस एडमिशन एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपील उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा) के द्वारा मु.नं. 120/2018 किस्म दावा उनवानी कंचन बनाम राज. सरकार पर पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.07.2022 के विरुद्ध पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.07.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील की सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को प्रदत्त नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील पर अग्रिम कार्यवाही न्यायालय हाजा के स्तर पर संभव नहीं है तथा अपीलांट की अपील एडमिशन स्तर पर ही खारिज किया जाना उचित है।</p> <p>अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परिणामतः अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। यदि अपीलार्थी को कोई आपत्ति है तो वे सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिये स्वतंत्र है। अधीनस्थ न्यायालय विधिवत सूचित हो। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।</p> <p style="text-align: center;">             (डॉ. मिरिश पाराशर)            अति.समांगीय आयुक्त,            जयपुर         </p>	